

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 77/10-5/22/वि-9/पीएमपी/2023/उस.भोपाल, दिनांक 22 /09/2023
प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।


विषय :- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत कार्यरत रसोईयों के मानदेय में वृद्धि बावत ।

सन्दर्भ :- विभागीय पत्र क्र 11668 / 22 / वि-9 / एमडीएम / 2018 दिनांक 06/10/2018

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत कार्यरत रसोईयों को मानदेय के रूप में रू. 2,000 प्रतिमाह का भुगतान किया जाता रहा है । राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत कार्यरत रसोईयों को रू. 2,000 प्रतिमाह के स्थान पर अब रू. 4,000 प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जावेगा ।

उपरोक्तानुसार मानेदय में वृद्धि मंत्रि-परिषद का आदेश क्रमांक एफ2168/2023/वि-9 दिनांक 09 सितम्बर 2023 के अनुक्रम में दी जाती है ।


(राकेश कुशारे)
उप सचिव 22/09/23


मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

निरंतर....2

पृ.क्र. 78/922/वि-9/पीएमपी/2023/5.स. भोपाल, दिनांक 22/09/2023
प्रतिलिपि:-

- 1 निज सचिव, मान. मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 2 निज सचिव, मान. राज्यमंत्रीजी , पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की ओर सूचनार्थ।

-
- 1 अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
 - 2 प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
 - 3 महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
 - 4 सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
 - 5 निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
 - 6 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स , भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
 - 7 राज्य समन्वयक, प्रधामंत्री पोषण शक्ति निर्माण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - 8 संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग, पर्यावास भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
 - 9 संभागायुक्त (समस्त), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
22/09/23

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग